भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3750
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

नेटवर्क फील्ड इंजीनियरों के समक्ष आने वाली समस्याएं

3750.डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनआईसी की सुविधा प्रबंधन सेवा परियोजना में लम्बे कार्यकाल और महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद नेटवर्क फील्ड इंजीनियरों के वेतन में देरी, कम मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा में कमी जैसे वर्तमान मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार ने थर्ड पार्टी वेंडर सिस्टम को समाप्त करने और उक्त इंजीनियरों को स्थायी एनआईसी कर्मचारी बनाने पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी सहित महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान उक्त इंजीनियरों के योगदान को ध्यान में रखते हुए वेतन में कटौती और चिकित्सा बीमा न होने जैसे मुद्दों की जांच करने और इस पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पास सुविधा प्रबंधन सेवा परियोजना नामक कोई परियोजना नहीं है। हालांकि, संविदा के तहत विभिन्न प्रणालियों और सुविधाओं के प्रबंधन के लिए यह विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करता है। ऐसीसंविदाओं के तहत नियोजित विभिन्न श्रेणियों के इंजीनियरों सहित मानव संसाधन संबंधित सेवा प्रदाता की जनशक्ति में शामिल हैं, जो ऐसे मानव संसाधनों और सेवा प्रदाता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर उनके वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, एनआईसी को अपेक्षा है कि सेवा प्रदाता श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संविधान के अनुच्छेद 16 में अपेक्षित है कि राज्य के कानून के अंतर्गत रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होने चाहिए। तदनुसार, नियमित एनआईसी कर्मचारियों की भर्ती खुली भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है, जिसके तहत सभी पात्र व्यक्ति, जिनमें ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा संविदा के तहत संसाधन के रूप में नियोजित किए गए व्यक्ति भी शामिल हैं, भाग ले सकते हैं।

सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित मानव संसाधनों के वेतन और चिकित्सा बीमा सहित अन्य शर्तों का निर्धारण ऐसे संसाधनों और सेवा प्रदाता के बीच आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है।

****